



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1992/अग्रहायण 3, 1914

No. 476]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1992/AGRAHAYANA 3, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परतन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1992

सा. का. नि. 891(अ) :- केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंडला परतन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कंडला परतन न्यासी कर्मचारी (गृह निर्माण अधिम) संशोधन विनियम, 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी प्रार - 12012/20/92-पी. ई. I]

प्रशोक जोशी, संयुक्त सचिव

कंडला पोर्ट ट्रस्ट

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियम बनाता है जिसे महा परतन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अनुसार प्रकाशित किया जाना है।

1. ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (गृह निर्माण अधिम बंधी स्वीकृति) संशोधन, 1992 कहे जाएंगे।

2. ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
मशोधन :

3. (1) विद्यमान विनियम 4 (क) और 4 (ख) का निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें और विनियम 4 (ग) तथा 4 (घ) को हटा दें।

4 (क) बोर्ड का स्थायी कर्मचारी जिसमें - "क" प्रवर्ग में स्थायी किया गया तटीय कामगार भी शामिल है।

4 (ख) ऐसा कोई भी कर्मचारी अथवा "क" तथा "ख" प्रवर्ग का तटीय कामगार जो उक्त (क) द्वारा शामिल नहीं है और जितने कम से

कम 5 वर्षों की लगातार सेवा की है वसति कि सस्वीकृति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह कर्मचारी कम से कम तब तक बोर्ड की सेवा में रहेगा जब तक वह मकान जिनके लिए अग्रिम सस्वीकृति किया गया है बन नहीं जाता और/या बोर्ड के पाम वक्षक नहीं रख दिया जाता।

(ii) विनियम 5 में, विनियम 5(ख) के बाद विनियम 5(ग) के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जाए

(ग) कर्मचारी का अथवा उमकी पत्नी/उमके पति के साथ संयुक्त स्वामित्व वाले विद्यमान मकान में आवास सुविधा बढ़ाना। विद्यमान अधि-रचना का कुल मूल्य (भूमि के मूल्य को छोड़कर) और प्रस्तावित परिवर्द्धन निर्धारित मूल्य सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) विद्यमान विनियम 6(क), 6(ख) और 7 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करें। विनियम 6(क) को हटा दें और विनियम 6(च) को विनियम 6(क) के रूप में पुनः संख्यांकित करें।

6. (क) बनाने/खरीदे जाने वाले मकान के परिवर्द्धन तथा परिवर्तन सहित मूल्य, जिसमें भूखंड का मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा, निम्नलिखित सीमा तक प्रतिबंधित रहेगा।

गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 150 गुना परन्तु यह न्यूनतम रु. 2.50 लाख और अधिकतम रु. 6.00 लाख के असीम रहेगा। अगर किसी मामले के गुणगुण से प्रणालिक विभाग संतुष्ट ही जाए तो वह संबंधित मामलों में ऊपर बताई गई मूल्य सीमा में अधिकतम 25% तक की मूल्य सीमा में छूट दे सकता है।

(ख) अगर कोई पोर्ट कर्मचारी मकान/प्लैट अथवा आवासीय भूखंड बनाने/अर्जन करने के संबंध में अपने अधिपति निधि खाने में से ऐसा अंतिम प्रत्याहरण करता है अथवा किया था जिसमें विनियमों के अधीन अग्रिम देने के अलावा परिवर्द्धन तथा परिवर्तन भी शामिल है तो इन विनियमों के अधीन सस्वीकृत अग्रिम और अधिपति निधि से प्रत्याहरण की कुल राशि मूल वेतन से 75 गुना या रु. 2.50 लाख जो भी कम हो, से अधिक न हो।

7 अग्रिम की राशि :

मकान/प्लैट बनाने/खरीदने के लिए अग्रिम द्वारा ऐसा अग्रिम दिया जाएगा जो मूल वेतन के 75 गुना के अन्दर या मकान राशि की प्राक्कलित लागत जो भी कम हो, से अधिक न हो और यह अर्थात् करने की क्षमता पर आधारित होगा तथा अधिकतम रु. 2.50 लाख के असीम होगा।

विद्यमान मकान में आवास सुविधा बढ़ाने के लिए अनुसूत्र राशि मूल वेतन के 50 गुना अथवा रु. 60,000/- जो भी कम हो, तक होगी।

(iv) विनियम 7 के बाद निम्नलिखित जोड़े :-

टिप्पणी :- निम्नलिखित आधार पर आवेदक कर्मचारी की पुनर्प्रदायगी क्षमता गिनी जाएगी :

| सेवा की शेष अवधि | पुनर्प्रदायगी क्षमता संबंधी स्तर |
|--|--|
| (क) 20 वर्षों के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी | मूल वेतन का 50% |
| (ख) 10 वर्षों परन्तु 20 वर्षों से अधिक नहीं के बाद सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी | मूल वेतन का 60% साथ ही मूल्य सह सेवा निवृत्त उपदान का भी समायोजित किया जाए। |
| (ग) 10 वर्षों के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी | मूल वेतन का 66.2/3% साथ ही मूल्य सह सेवानिवृत्त उपदान का 90% भी समायोजित किया जाए। |

(V) विनियम 8(ग) को निम्नलिखित द्वारा स्थापित किया जाए :-

8(क) मकान/प्लैट बनाने/अर्जन करने के प्रयोजनार्थ गैर सरकारी खातों में लिए गए ऋण की पुनर्प्रदायगी के लिए अपेक्षित अग्रिम निम्नवत् अर्थात् किया जाएगा।

(V.) विनियम 8(ग) (3) (ख) में टिप्पणी (ii) के बाद विनियम 8(घ) के रूप में निम्नलिखित जोड़े।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों/सांख्यिक निकायों तथा सरकार द्वारा निधि अथवा पंजीकृत मोतायटियों को गृह निर्माण अग्रिम संबंधी सस्वीकृति के प्रयोजनार्थ गैर सरकारी खातों माना जाए वसति कि ऐसे व्यक्ति गैर सरकारी खातों से ऋण लेने समय गृह निर्माण अग्रिम संबंधी सस्वीकृति हेतु प्रयत्न पात्र हों।

नभी मामलों में सफल पर बोर्ड का पहला हक रहेगा।

“गैर सरकारी खातों में लिए गए अथवा ऋण” वाक्य में गृह निर्माण के प्रयोजनार्थ बोर्ड के कर्मचारी द्वारा लिये गये पारिश्रित ऋण को प्रवि-व्यक्ति भी शामिल है।

विक्रम प्राधिकरण, आवासन बोर्ड आदि के माध्यम से मकान/प्लैट का अर्जन/निर्माण करने हेतु ऋणों को “ओवरशिप हाउसिंग स्कैम” के अधीन बोर्ड के कर्मचारी द्वारा लिए गए ऋण की पुनर्प्रदायगी के लिए गृह निर्माण अग्रिम अनुज्ञेय होगा। तथापि इस ऋण को पुनर्प्रदायगी हेतु कर्म-चारियों को उक्त निर्माण अग्रिम सस्वीकृति करने में पूर्ण बोर्ड पर सुनिश्चित करेगा कि विक्रम प्राधिकरण/आवासन बोर्ड/कापरेटिव मोतायटियों द्वारा उक्त कर्मचारियों के लिए ऋणों से ऋण लेने की तारीखों को ये कर्मचारी गृह निर्माण के अग्रिम के पात्र न हों और उक्त गृह निर्माण अग्रिम के लिए आवेदन भी किया था परन्तु निर्धन होना होने के कारण उन्हें इसकी मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद ही उन्होंने विक्रम प्राधिकरण/आवासन बोर्ड आदि को ऋण की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया था।

(vii) विनियम 9 के नीचे टिप्पणी के मामले निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें।

“टिप्पणी ऐसे कर्मचारी जिन्होंने स्था अथवा जिनकी पत्नी/जिनके पति से दिनांक 1-9-79 को या उसके बाद अन्वेषण आवेदन करवाया हो तो उनसे संबंधित अर्थात् की दर गृह निर्माण अग्रिम का प्रथम किस्त जारी हो जाने के बाद भी अर्थात् की सामान्य दर से 1/2% कम होगी। तथापि अन्वेषण की तारीख से ही 1/2% की छूट अनुज्ञेय होगी। यह रिप्रायट निम्नलिखित अर्थों के अधीन होगी।”

(viii) विनियम 9 की टिप्पणी के नीचे दो नई शर्तें मन्त्रा 2 को निम्नवत् प्रतिस्थापित करें :

“9(2) पोर्ट कर्मचारी के मोन जोदिन उक्तों में अर्थात् उक्त न हों”

(ix) विनियम 10(1)(ख) और 10(2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करें :-

“10(1)(ख) कर्मचारी अग्रिम को पहली किस्त दिए जाने की तारीख से 24 महीनों के अन्दर पूरा हो जाए। ऐसा न होने पर कर्मचारी को अग्रिम और उक्त पर अर्थात् सहित समस्त राशि एक मुश्किल रूप में वापस लौटानी होगी। अगर ऐसी परिस्थितियां जो कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हों उनके कारण काम में विलंब होता है तो उन मामलों में अग्रिम समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। मकान पूरा हो जाने की तारीख से 3 माह की अवधि के अन्दर और अगर तैदार मकान या प्लैट खरीदा जाता है तो एक माह के अन्दर अग्रिम की समाप्ति की तारीख को सूचना देनी होगी।”

"10 (2) महान विपत्ति का प्रारंभ होने या खरीदे जाने जैसी भी स्थिति हो, के तुरन्त बाद सम्बंधित कर्मचारी को, वाक और बिजली द्वारा होने वाले जोखिम अथवा नुकसान अथवा क्षति से बचाव के लिए, बोर्ड और उस कर्मचारी के संरक्षक नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा बाई द्वारा अनुमति प्राप्त हुए अथवा कर्मचारी के पाम उस कर्मचारी को प्रथम के रूप में दी गई राशि और उस पर ब्याज सहित राशि को बीमा तक स्वयं के खर्च पर महान का बीमा करवाए और उसे बीमाकृत रखे और तात्पर्य बीमा पॉलिसी उचित प्राधिकारी के अज्ञोक्तार्थ अर्पित करे।

शुद्ध होने वाले बोर्ड के ऐसे कर्मचारी जिन्हें को आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों को सदस्यता से माःत्रव ने फ्लैट/मकान के प्रवेश हेतु गृह निर्माण अग्रिम मंजूर किया गया है उन्हें प्राप्ति, वाक और बिजली के अभाव के लिए अग्रिम फंड का अंशदान रूप में वसूली करवाना होगा और, उस पॉलिसी में बाई के अधिकार तथा हितों को भी शामिल करना होगा ऐसे सभी मामलों में हाउसिंग सोसायटी उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का बीमा करवाने समर उन फ्लैटों को छोड़ कर बीमा करवाएगी जिन फ्लैटों के वास्तव में उनमें बिना विशेष प्रावधान/शुद्ध होने वाला मॉलिको को अलग से बीमा करवाने का अनुमति दी हो।

वक्त फ्लैट या भी प्रतिस्थापित मूल्य के आधार पर या बाजार मूल्य के आधार पर पूरे मूल्य के लिए रक्षित किया जाएगा न कि केवल बकाया शुद्ध का राशि के लिए क्योंकि अतिम अवधि बीमा पॉलिसी भी हमेशा इस शर्त के अधीन रहती है कि नुकसान की तारीख को सर्वोच्च के वास्तविक मूल्य के आधार पर पाम के राशि के अनुदान में ही नुकसान की भरवाई होगी।

(x) विद्यमान विनियम 11(1)(क) का विम्व लिखित द्वारा प्रतिस्थापित करे।

11 (1) (क) अतिम फ्लैट के मामले सहित मासिक रूप से वसूल की जाने वाली राशि पूरे कार्य में विनियम को आएगी।

सचिव
कडला पोर्ट ट्रस्ट

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Ports Wing)
NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November 1992

G.S.R. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Grant of Advance for Building Houses) Amendment Regulations, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[No. PR-12012/20/92-PE I]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

KANDLA PORT TRUST
NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port of Kandla have made the follow-

ing Regulations with the approval of the Central Government which is published in accordance with Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963.

1. These Regulations may be called the Kandla Port Employers (Grant of Advances for Building Houses) Amendment Regulations, 1992.

2. These shall come into force from the date of publication in the Gazette of India.

Amendments :

3. (i) Substitute the following for the existing Regulations 4(a) and 4(b) and delete the Regulations 4(c) and 4(d) :

"4. (a) Any employee or Shore Worker A & B category, not covered by (a) above who has rendered at least 5 years continuous service provided that the sanctioning authority is satisfied that he is likely to continue in the service of the Board at least till the house for which the advance is sanctioned is built and/or mortgaged to the Board."

(ii) In Regulation 5, the following shall be added as Regulation 5(c) after the Regulation 5(b).

"(c) Enlarging living accommodation in an existing house owned by the employee or jointly with spouse. The total cost of the existing structure (excluding cost of land) and the proposed additions should not exceed the prescribed cost ceiling.

(iii) Substitute the following for the existing Regulation 6(a), 6(b) and 7. Delete Regulation 6(e) and renumber Regulation 6(f) as Regulation 6(e).

"6. (a) The cost of the house to be built/purchased including additions and alterations but excluding the cost of plot shall be restricted to the following ceiling :

150 times the basic pay of the employee applying for House Building Advance subject to a minimum of Rs. 2.50 lakhs and maximum of Rs. 6.00 lakhs. Where the Administrative Department is satisfied on the merits of the case, they may relax the cost ceiling upto a maximum of 25 per cent of the cost ceiling mentioned above in individual cases.

(b) Where a port employee makes or has made a final withdrawal from his Provident Fund Account in connection with the construction/acquisition of a house/flat or a residential plot including additions and alterations in addition to availing of an advance under the Regulations, the total of the advance sanctioned under these Regulations and the withdrawal from the Provident Fund should not exceed 75 times the basic pay or Rs. 2.5 lakhs whichever is less.

7. Amount of Advance

An advance not exceeding an amount equal to 75 times the basic pay or the estimated cost of the house whichever is the least subject to a maximum of Rs. 2.50 lakhs based on paying capacity, may be granted by the Chairman for the construction/Purchase of a house/flat.

For enlarging living accommodation in an existing house, the amount admissible will be 50 times the basic pay or Rs. 60,000 whichever is less."

(iv) Add the following after Regulation 7 :

“Note :—The repaying capacity of the applicant employee will be computed on the following lines :

| Length of remaining service | Slab of repaying capacity |
|--|---|
| (a) Officials retiring after 20 yrs. | 50% of basic pay |
| (b) Officials retiring after 10 years but not later than 20 years. | 60% of basic pay 80% of DCRG may also be adjusted. |
| (c) Official, retiring within 10 years. | 66 2/3% of basic pay 90% of DCRG may also be adjusted. |

(v) Substitute Regulation 8(C) by the following :—

“8. (c) An advance required for re-payment of loan raised from non-Govt. sources for the purpose of construction/acquisition of a house/flat shall be paid as follows :”

(vi) Add the following as regulation 8(d) after note (ii) in Regulation 8(c) (3) (b) :

“(d) The Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies and other Registered Societies Funded by the Govt. should be treated as non-Govt. sources for the purpose of sanctioning house building advance provided such persons were otherwise eligible for sanction of house building advance at the time loans from non Govt. sources were obtained.

In all cases Board will have first charge over the property.

Expression ‘other loans taken from non-Govt. sources, also includes private loans obtained by the Board servants for the house building purposes.

The house building advance would be admissible to the Board employees for repayment of the loan raised by them under the ‘Ownership Housing Scheme’ of HUDCO for acquisition/construction of house/flat through the Development Authorities, Housing Boards, etc. However, before sanctioning above building advance to the employees for repayment of this loan, Board should ensure that they were eligible for house building advance on the date the Development Authorities/Housing Boards/Co-operative societies etc. had raised the loan for them from HUDCO and they had requested the Development Authorities/Housing Boards etc. for arranging the loan for them only after they had applied for house building advance and the same was not sanctioned to them due to paucity of funds.”

(vii) Substitute the following against the note below Regulation 9 :

“Note :— The rate of interest to such employees who or whose spouses have undergone sterilisation operation on or after 1-9-79 even after release of the first instalment of house build-

ing advance will be 1/2 per cent less than the normal rate of interest. The rebate of 1/2 per cent will however be admissible from the date of sterilisation. This concession will be subject to the following conditions.”

(viii) Substitute condition No. 2 below note of regulation 9 as under :—

“9. (2) The Port employee should have not more than three living children.”

(ix) Substitute regulation 10(1) (b) and 10 (2) by the following :—

“10. (1)(b).—Completed within 24 months of the date on which the first instalment of advance is paid to the employee. Failure to do so will render the employee liable to refund the entire amount advanced to him together with interest thereon in one lumpsum. An extension of time limit may be allowed by the Chairman in those cases where the work is delayed due to circumstances beyond the control of the employee. The date of completion must be reported to the Chairman within a period of 3 months from the date of completion of the house and within one month in case of purchase of a ready built house or flat.”

“10 (2) Immediately on completion or purchase of house, as the case may be, the employee concerned shall insure and keep insured the house at his own cost with the Life Insurance Corpn. of India or any other insurance company approved by the Board in the joint names of the Board and such employee, against the risk or loss or damage by fire, flood and lightning to the extent of the amount advanced to him and the interest thereon, and forward the insurance policy for the perusal of the appropriate authority.

The loanee Board employees who have been sanctioned house building advance for acquisition of flats/houses through the membership of co-operative group housing societies, will get their flats individually insured against the damage by fire, flood and lightning extending the policy to include the rights and interest of the Board. In the event the housing society can take insurance in the housing complex excluding the flats for which they have permitted individual allottees/loanee owners to be insured separately.

The flat should be covered for full value either on replacement value basis or on market value basis and not for the amount of outstanding loans only because fire insurance policy also is always subject to the condition that losses are payable in the proportion which the sum insured bears to the actual value of the property as on date of loss.”

(x) Substitute the existing Regulation 11(1) (a) by the following :

11 (1) (a) The amount to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees, including in the case of the last instalment”.

Secretary
Kandla Port Trust.